व्यवसाय आज अन्य जातियो के द्वारा अपना व्यवसाय बना लिया गया है।

आज के समय में जो बसोर जाति के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है उनको भूखे मरने के सिबाय और कुछ नही है या फिर वह अपना घर द्वार छोडकर शहरों की ओर पलायन करे जिससे वह अपनी रोज रोटी ही चला सकते है। अपने बच्चों का भविष्य नही बना सकते है।

यहां यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि इस देश में बसोर जाति की जिंदगी एक जानवर से भी गई गुजरी है। ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में बसोर जाति से ही उसकी समकक्ष जातियां भी छुआछूत मानती है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की तो बात ही अलग है इस जाति को ग्रामीण क्षेत्रों मे चाहे वह शासकीय मजदूरी या किसी जमीदार की मजदूरी हो मजदूरी पर नही लगाया जाता है। यदि इस जाति के व्यक्ति को मजदूरी पर लगाते है तो वह अशुद्ध हो जाएगे यहां तक कि शासकीय पाठ्यशालाओं एवं निजी पाठशालाओं मे भी बच्चों को अन्य जाति के बच्चों के साथ नही बैठने दिया जाता है इन्हें अलग से बैठना पडता है सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों को शासकीय विद्यालयों मध्यान भोजन दिया जाात है लेंकिन बसोर जाति के बच्चे को अन्य जाति के बच्चों के साथ भोजन नही खाने दिया जाता है / जब से देश आजाद हुआ है तब से सरकार मानव अधिकार/ अनूसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के माध्यम से अस्थपृस्ता मिटाने के लिए पूरी कोशिश कागजो पर ही कर रही है। जब कि आज की स्थिति मे भी बसोर समाज एवं उसकी उपजातियों को सर्वजनक स्थान जैसे कुआं,हेन्डपंप,तालाब, मंदिर, जैसी जगहों पर आज भी चढने नही दिया जाता है। होटल में चाय पीने के लिए भी नही बैठने दिया जाता है ऐसी समस्त घटनाओं से अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति ने लगातार भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को अवगत कराते आ रहें है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा भूखमरी एवं छुआछूत हटाने का दावा कर रही है जो कि समस्त दावे कागजों तक ही सीमित है आज यहां भी यदि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा बसोर जाति एवं ऊपर उल्लेखित जातियों की मांगों/समस्याओं का निराकरण 3 माह में नहीं किया तो धरना, प्रदर्शन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय का ध्यानाकर्षण कराना चाहेगें कि इस देश में जंगल/नदियां/